रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940
No. 574] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 780(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी.—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश,1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 है।

(2) इस आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लेवी चीनी (आपूर्ति) नियंत्रण आदेश, 1979 में, खंड 2 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3. (1) जहां ऐसा कोई उत्पादक या आयातक अथवा मान्यता प्राप्त व्यौहारी जो खंड 2 के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी करने के लिए बाध्य है, किसी भी चीनी मौसम के संबंध में अपनी बाध्यता पूरी करने में असफल होता है, उसके पास उपखंड (2) में यथाउपबंधित के अनुसार लेवी चीनी की वास्तवित सुपुर्दगी के बदले में धन का संदाय करके बाध्यता को पूरा करने का विकल्प होगा।

(2) उप-खंड (1) के अधीन संदत्त किया जाने वाला धन खुले बाजार से चीनी की बिक्री से हुई वास्तविक वसूली और किसी विशिष्ट चीनी मौसम के लिए अधिसूचित लेवी चीनी कीमत के अंतरीयता से निकाला जाएगा जो लेवी बाध्यता संबंधित है।"

[फा. सं. 1(13)/2018-एसपी-I]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 696 (अ)/आव/चीनी, तारीख 17 दिसंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :

1. सा.का.नि. 420 (अ) 135 दिनांक 31-5-1984 द्वारा खंड 2 का उप-खंड (1) प्रतिस्थापित किया गया
2. सा.का.नि. 135 (अ) दिनांक 17-2-2000, द्वारा "उत्पादक" शब्द के लिए प्रतिस्थापित किया गया
3. सा.का.नि. 420 (अ) दिनांक 17-2-2000 के द्वारा मद (ख) प्रतिस्थापित की गई
4. सा.का.नि. 135 (अ) दिनांक 17-2-2000 के द्वारा उप-खंड (1-क) अन्त:स्थापित किया गया
5. सा.का.नि. 135 (अ) दिनांक 17-2-2000 द्वारा "कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग" शब्दों के लिए शब्द प्रतिस्थापित किए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 14th August, 2018

G.S.R. 780(E)Ess. Com./ Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Levy Sugar Supply (Control)Order, 1979, namely:—

1. (1) This Order may be called the Levy Sugar Supply (Control) Amendment Order, 2018

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 after clause 2, the following clause shall be inserted, namely:—

"3. (1) Where any producer or importer or recognised dealer who has an obligation under clause 2 to deliver levy sugar has failed to fulfil its obligation in respect of any sugar season, it shall have an option to fulfil the obligation by making payment of money in lieu of actual delivery of levy sugar as provided in sub-clause (2).

(2) The money to be paid under sub-clause (1) shall be derived from the differential of actual realization from sale of sugar from the open market and the notified levy sugar price for any particular sugar season to which any levy obligation pertains".

[F.No.1(13)/2018-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 696(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 17th December, 1979 and was subsequently amended *vide:*

1. Sub-clause (1) of clause 2 was substituted by GSR 420(E), dated 31-5-1984
2. Substituted for the word "producer" by GSR 135(E), dated 17-2-2000
3. Item (b) was substituted by GSR 135(E), dated 17-2-2000
4. Sub-clause (1-A) was inserted by GSR 135(E), dated 17-2-2000
5. Substituted for the words "Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Food" by GSR 135(E), dated 17-2-2000

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.23 19:26:27 +05'30'